दिनांक 26.09.2016 को आयोजित IFAD-ILSP की परियोजना प्रबन्धन समिति (PMC) की आठवीं (8वीं) बैठक का कार्यवृत्त

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) की प्रबन्धन समिति की आठवीं (8वीं) बैठक दिनांक 26.09.2016 को अपरान्ह् 5.30 बजे डॉ0 रनवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन समिति, ILSP की अध्यक्षता में FRDC सभागार सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति का विवरण एवं कार्यवृत्त निम्नवत है:

उपस्थित सदस्यों /प्रतिनिधि का विवरण :–

1. परियोजना निदेशक, परियोजना समिति–जलागम प्रबन्ध निदेशालय (PS-WMD) श्री कपिल लाल।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, श्री युगल किशोर पन्त।
3. अपर सचिव, कृषि एवं वित्त उत्तराखण्ड शासन, श्री श्रीधर बाबू अदान्की।
4. एस॰वी॰सी॰सी॰ (उपासक) के प्रतिनिधि श्री ए॰के॰ राजपूत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP, श्री विजय कुमार।

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना के प्रबन्धक व अधिकारी गणों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की प्रबन्धन समिति के सदस्य सचिव श्री विजय कुमार द्वारा प्रबन्धन समिति की आठवीं (8वीं) बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति पूर्ण होने के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रिओं का स्वागत करते हुये एजेन्डा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिन्दुवार बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

कार्यसूची PMC: 8.01: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन समिति की दिनांक 24.06. 2016 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन समिति की सातवीं बैठक **अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन समिति, ILSP की अध्यक्षता** में दिनांक 24.06.2016 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक 71 /PMC-7/2016-17 दिनांक 30.06.2016 के माध्यम से सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया। बैठक का कार्यवृत्त सुलभ संदर्भ हेतु सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

सदस्यगणों द्वारा उक्त कार्यवृत्त का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

कार्यसूची PMC: 8.02: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की दिनांक 24.06.2016 को आयोजित परियोजना प्रबन्धन समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन समिति की दिनांक 24.06.2016 को आयोजित 7वीं बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा अनुपालन हेतु तात्कालिक बिन्दुओं को इंगित किया गया था। उक्त बिन्दुओं पर निर्देशानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

सदस्यगण द्वारा अनुपालन की स्थिति को संज्ञानार्थ लिया गया।

कार्यसूची PMC: 8.03: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की अद्यतन स्थिति।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु परियोजना प्रबन्धन कमेटी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना (Approved AWPB) रू०161.42 करोड़ की है, जिसमें रू० 25.39 करोड़ Beneficiary Contribution तथा Bank Finance इत्यादि सम्मिलित है। Approved AWPB रू० 161.42 करोड के सापेक्ष दिनांक 31.08.2016 तक रू० 28.23 करोड़ की प्रगति की गई है। **उक्त प्रगति से समिति अवगत हुई एवं प्रगति में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।**

कार्यसूची PMC: 8.04: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा की वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट तथा Balance Sheet का अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की गतिविधियों का ऑडिट CAG Empannelled, CA Firm M/s DMA & Associates के द्वारा किया गया। ऑडिट उपरान्त CA Firm M/s DMA & Associates द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए गये Project Financial Statement व क्रियान्वयन अभिकरणों की आडिट रिपोर्ट तथा Management Letter सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। **सदस्यगणों के द्वारा अवलोकन उपरान्त Project Financial Statement को अनुमोदन प्रदान किया गया।**

इसी क्रम में Management Letter व Auditor Report पर चर्चा हुई। चर्चा में CA फर्म के पार्टनर CA श्री दीपक धनसानी द्वारा बताया गया कि (i) परियोजना में स्टाफ के माध्यम से कुछ गतिविधियों के क्रियान्वयन में नकद भुगतान किया जा रहा है, जिसको चैक/बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। (ii) परियोजना समिति, जलागम प्रबन्ध निदेशालय PA-WMD को Non Profitable संस्था होने के क्रम में Income Tax Act के अन्तर्गत Section 12 AA में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में संस्था द्वारा प्राप्त किये गये Grant Fund पर भारी Tax/जुर्माना Income Tax विभाग द्वारा लगाया जा सकता है। (ii) UGVS, PS-WMD व UPASaC के कुछ मामलों में TDS कटौती न किये जाने तथा उपासक में बैंक खातों में कुल जमा धनराशि रू0 1413329/– का कम्पनी के पास कोई सूचना न होने को CA Firm M/s DMA & Associates द्वारा प्रकाश में लाया गया।

चर्चा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि **परियोजना गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान यथासम्भव नकद भुगतान बंद कर चैक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाए एवं फील्ड में ग्राम स्तर पर कार्यरत कार्यकर्त्ताओं को मासिक मानदेय का भुगतान भी चैक/बैंक के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए तथा ऑडिटर द्वारा Management Letter व Auditor Report में इंगित सभी बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन किया जाए।**

कार्यसूची PMC: 8.05: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) की परियोजना प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के पदनाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 2261/XI/12/56(21)2011 दिनांक 23.11.2012 के माध्यम से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना हेतु सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में परियोजना प्रबन्धन कमेटी (PMC) का गठन किया गया था। दिनांक 31.01.2014 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित IFAD-ILSP की परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (PSC) की बैठक में उपरोक्त शासनादेश द्वारा गठित परियोजना प्रबन्धन कमेटी को संशोधित करते हुये अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्ष नामित किया गया। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–1 के

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1895/तीस–1–16–12(7)2016 दिनांक 09.08.2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत अर्न्तविभागीय समन्वय हेतु सचिवालय में गठित, अवस्थापना विकास आयुक्त व प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण आयुक्त शाखाओं को पुनर्गठित किया गया है जिसमें **ग्राम्य विकास विभाग को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन** रखा गया है। उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को परियोजना प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष नामित करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम मे समिति द्वारा **अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को परियोजना प्रबन्धक समिति, ILSP का अध्यक्ष नामित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

कार्यसूची PMC: 8.06: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के Post MTR Expenditure Category के सम्बन्ध में।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई–जून 2016 में IFAD द्वारा परियोजना का Mid Term Review (MTR) के उपरान्त Expenditure की Category के संशोधन पर सहमति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इस क्रम में दिनांक 20.09.2016 के पत्र के माध्यम से IFAD द्वारा Post MTR Expenditure Category का उपलब्ध कराया गया विवरण सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना के MTR के दौरान परियोजना को लगभग 1.5 वर्ष विलम्ब से शुरूआत एवं जून, 2013 की अतिवृष्टि उपरान्त, मार्च 2014 में प्रोजेक्ट Restructuring के IFAD एवं DEA, भारत सरकार के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुये IFAD Mission द्वारा परियोजना काल को 2019 के उपरान्त 2 वर्ष बढ़ाने की संस्तुति की गई जिसके उपरान्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से भारत सरकार को दिनांक 13.06.2016 को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के कम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.09.2016 के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में आगामी 1 वर्ष उपरान्त परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र को सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार सभी सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुए।

अतिरिक्त कार्यसूची PMC: 8.01: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए Annual Statutory Auditor के चयन हेतु मुख्य परियोजना निदेशक, ILSP को अधिकृत करने के संबंध में।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के खातों के वार्षिक अंकेक्षण हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत M/s DMA & Associates Chartered Accountant Firm का चयन किया गया था। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में परियोजना के खातों का वार्षिक अंकेक्षण हेतु M/s DMA & Associates Chartered Accountant की सेवायें ली गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के खातों का वर्षिक ऑडिट कराये जाने हेतु Chartered Accountant Firm के चयन के लिए मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। UPR में निर्गत प्राविधानों के अन्तर्गत Chartered Accountant Firm के चयन उपरान्त आईफैड से सहमति प्राप्त की जायेगी।

इस क्रम में माननीय सदस्यगणों द्वारा उपरोक्त पर चर्चा कर वित्तीय वर्ष 2016–17 के ILSP परियोजना के खातों का वार्षिक ऑडिट कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत Chartered Accountant Firm के चयन के लिए मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP को अधिकृत किया गया।

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन समिति, ILSP

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव, परियोजना प्रबन्धन समिति
एवं मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD- ILSP)
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU)

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
216, पंडितवाड़ी, फेज– II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष 0135–2773800

पत्रांक /PMC-VIII/2016–17 दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन समिति, ILSP के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, जलागम देहरादून।
4. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
5. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव/निदेशक पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
11. अपर सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू॰एस॰एन॰आर॰एल॰एम॰, देहरादून।

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव, परियोजना प्रबन्धन समिति
एवं मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP